भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3458

उत्तर देने की तारीख : 23.03.2026

उद्यम औपचारिकीकरण और रोजगार से जुड़ी उपलब्धियां

3458. श्री बृज लाल :

श्री मिथलेश कुमार :

श्री शंभू शरण पटेल :

डॉ. अनिल सुखदेवराव बोंडे :

श्री सुभाष बराला :

डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी :

श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े :

श्रीमती दर्शना सिंह :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मार्च, 2026 तक उद्यम तथा उद्यम असिस्ट प्लेटफार्म (यूएपी) पर 7.83 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई का लक्ष्य सफलतापूर्वक पार कर लिया है;

(ख) उद्यम पोर्टल का ई-श्रम एवं स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) के साथ एकीकरण किस प्रकार पंजीकृत एमएसएमई में कार्यरत श्रमिकों की पहचान तथा उनके कौशल विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है;

(ग) उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) के माध्यम से अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) के लिए औपचारिक वित्तीय व्यवस्था के दायरे में लाने के संबंध में क्या सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई (वर्तमान में 3.07 करोड़ से अधिक पंजीकरण) में हुई वृद्धि ने समावेशी आर्थिक विकास हेतु 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण की सफलता में किस प्रकार योगदान दिया है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग) : वर्ष 2020 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को परिभाषित करने के लिए निवेश और टर्नओवर के युग्मित मानदंड के आधार पर संशोधित परिभाषा को अपनाया गया था। एमएसएमई के पंजीकरण के लिए दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) की शुरुआत की गई थी। इसके अतिरिक्त, अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) के औपचारिकीकरण के लिए दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई थी। संशोधित परिभाषा को अपनाने के बाद से अब तक 7.92 करोड़ से अधिक उद्यम पहले से ही पंजीकृत हो चुके हैं।

यूआरपी को श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय कैरियर सर्विस पोर्टल ई-श्रम पोर्टल और कौशल भारत डिजिटल पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। यह एकीकरण एमएसएमई से जुड़े श्रमिकों की बेहतर पहचान और मैपिंग को सक्षम बनाता है और रोजगार के अवसरों के साथ-साथ कौशल, पुनः कौशल और कौशल विकास पहलों के साथ उनके लिंकेज को सुविधाजनक बनाता है, जिससे एमएसएमई क्षेत्र में उत्पादकता और रोजगार क्षमता में सुधार होता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सुझाव दिया है कि वे आईएमई को जारी किए गए उद्यम असिस्ट प्रमाण-पत्र (यूएसी) को यूआरसी के समतुल्य समझा जाए और वैध यूएसी वाले आईएमई को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों के लिए सूक्ष्म उद्यम माना जाएं। इसके अतिरिक्त, अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को उनके समग्र आवश्यकता के लिए प्रतिभूति रहित किफायती ऋण प्रवाह की सुविधा प्रदान करने के लिए, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) के तहत विशेष प्रावधान किया गया है, अर्थात 85% की अधिकतम कवरेज सीमा के साथ 20 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा पर गारंटी प्रदान की गई है।

(घ) : महिला स्वामित्व वाले उद्यमों में वृद्धि से पता चलता है कि महिला उद्यमियों के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों के माध्यम से उनकी भागीदारी को बढ़ाया गया है, जिससे समावेशी विकास के लिए विकसित भारत दृष्टिकोण की सफलता में योगदान मिला है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमियों के संवर्धन के लिए की गई कुछ पहलें निम्नानुसार हैं:

i. उद्यम पंजीकरण (यूआर) और उद्यम असिस्ट पोर्टल (यूएपी) पर महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान शुरु किए गए हैं।

ii. कुल पीएमईजीपी लाभार्थियों में से 39% महिलाएं हैं और उन्हें गैर-विशेष श्रेणी (25% तक) की तुलना में अधिक सब्सिडी (35%) प्रदान की जा रही है।

iii. महिलाओं के बीच उद्यमशीलता के संवर्धन के लिए एमएसएमई मंत्रालय कॅयर विकास योजना के तहत 'कौशल उन्नयन और महिला कॅयर योजना' का कार्यान्वयन करता है, जो कॅयर क्षेत्र में कार्यरत महिला कारीगरों के कौशल विकास के लक्ष्य के साथ एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

iv. प्रापण और विपणन सहायता स्कीम के तहत व्यापार मेलों में महिला उद्यमियों की सहभागिता के लिए अन्य उद्यमियों के लिए 80% की तुलना में 100% की सब्सिडी दी जाती है।

v. मंत्रालय ने एमएसएमई मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के साथ मौजूदा और भावी महिला उद्यमियों के बीच जागरूकता सृजित करने के लिए जागरूकता अभियान 'यशस्विनी' शुरू किया है, जिससे उन्हें हैंडहोल्डिंग, मेंटरशिप और क्षमता निर्माण के माध्यम से निरंतर सहायता प्रदान किया जा रहा है।
